खण्ड–8, अंक–1
शुक्रवार, 07 चैत्र, शक संवत् 1925
(28 मार्च, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)

(प्रथम सत्र, 2003)

(खण्ड 8 में 6 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	क
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	1
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	1–2
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	2
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	2
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	2
उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	2
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	2
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	3
भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	3
उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	3
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	3
उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	3–4
उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	4
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 (अधिनियमित होने की घोषणा)	4

विषय	पृष्ठ–संख्या
अधिष्ठाता मण्डल का गठन	4
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	4–5
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	5
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	6
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	6
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	7
उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	7
उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	7–8
उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	8
वर्ष 2003–2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण	8–11
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापन एवं पारण)	11–15

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अनिल नौटियाल
3. डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9. श्री काशी सिंह ऐरी
10. श्री किशोर उपाध्याय
11. श्री कैलाश शर्मा
12. श्री कौलदास
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
15. श्री गोपाल सिंह
16. श्री गोविन्द लाल
17. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18. श्री चन्द्रशेखर
19. श्री जोत सिंह
20. श्री तसलीम अहमद
21. श्री तिलक राज बेहड़
22. श्री तेजपाल सिंह रावत
23. श्री दिनेश अग्रवाल
24. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
25. श्री नवप्रभात
26. श्री नारायण दत्त तिवारी
27. श्री नारायण पाल
28. श्री नारायण राम आर्य
29. श्री नारायण सिंह जंतवाल
30. श्री निजामुद्दीन
31. श्री प्रकाश पंत
32. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33. डॉ0 प्रताप बिष्ट
34. श्री प्रदीप टम्टा
35. श्री प्रीतम सिंह
36. श्री प्रीतम सिंह पंवार
37. श्री प्रेमानन्द महाजन
38. श्री फूलसिंह बिष्ट
39. श्री बलबीर सिंह नेगी
40. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
41. श्री बिशन सिंह चुफाल
42. श्री भगत सिंह कोश्यारी
43. श्री मदन कौशिक
44. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
45. श्री महेन्द्र भट्ट
46. श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
47. श्री मातबर सिंह कण्डारी
48. श्री मालचन्द
49. चौ0 यशवीर सिंह
50. श्री रणजीत सिंह
51. श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
52. श्री राम प्रसाद टम्टा
53. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
55. श्री शूरवीर सिंह
56. डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
57. श्री शहजाद
58. श्री साधू राम
59. श्री सुबोध उनियाल
60. श्री सुन्दरलाल मन्द्रवाल
61. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
62. श्री सुरेश चंद
63. श्री हरबंस कपूर
64. श्री हरभजन सिंह चीमा
65. श्री हरिदास
66. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
67. श्री हीरा सिंह बिष्ट
68. श्री हेमेश खर्कवाल
69. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 3.00 बजे अपराह्न अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्
फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

उत्तरांचल राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधान सभा के प्रथम वर्ष में सदन के सुचारू संचालन एवं सकारात्मक प्रयासों के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। [——————————] बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को प्रत्येक नागरिक मिलकर साकार करने का प्रयास करें। इसी आह्वान के साथ आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि विधान सभा के अमूल्य समय का सदुपयोग, सभी नियत कार्यों को सम्पन्न कराने में आपके नेतृत्व एवं सहयोग से सम्भव हो सकेगा, तथा माननीय सदस्यगण विधायी एवं संसदीय कार्यों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु लेखानुदान का पारण करेंगे।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002

कृषि एवं कृषि विपणन मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003

श्री नव प्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का ग्यारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का तेरहवाँ अधिनियम बन गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का चौदहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का पन्द्रहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का सोलहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को

पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का सत्रहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मानतीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का अठ्ठारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का उन्नीसवाँ अधिनियम बन गया।

अधिष्ठाता मण्डल का गठन

श्री अध्यक्ष–

उत्तरांचल में यथा लागू उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–10 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष कालावधि तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए उत्तरांचल विधान सभा के अधिष्ठाता मण्डल हेतु निम्नलिखित माननीय सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता है :–

1–श्री दिनेश अग्रवाल;

2–श्री काशी सिंह ऐरी;

3–श्री हरबंस कपूर;

4–डॉ0 प्रताप सिंह बिष्ट;

5–काजी निजामुद्दीन।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2003 की बैठक में दिनांक 28 मार्च, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 2003

28, शुक्रवार

(1) अध्यक्ष द्वारा अभिभाषण का पाठ।

(2) वित्तीय वर्ष, 2003–2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण।

(3) वित्तीय वर्ष, 2003–2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का पारण।

(4) उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) अल्पकालिक व्यवस्था (अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003

सहकारिता मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

वर्ष 2003–2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2003–2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण करती हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन यह है कि यहाँ बहुत से अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। मान्यवर, लेखानुदान तो बड़ी ही विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है।

मान्यवर, जब आपके पास बजट बनाने के लिए पर्याप्त समय न मिला हो या कोई आपात स्थिति हो जिसके कारण लेखानुदान प्रस्तुत करते हैं। यह कोई अधिकार नहीं है, यह तो विशेष परिस्थितियों में ही लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। मान्यवर, हमारी यह सरकार लेखानुदान प्रस्तुत करने जा रही है जबकि अभी तक लेखानुदान की प्रतियाँ भी नहीं आयी हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं, यह सरकार जिसको हमारे प्रदेश की जनता

ने चुना है, वह हमारे प्रदेश के आर्थिक मामलों में कितनी गंभीर है। पिछले साल भर में कोई काम नहीं हुआ है। मान्यवर, 2700 करोड़ रु0 खर्च करना था, विकास के कार्यों में। लेकिन 1300 करोड़ रुपया रिलीज किया है और उसमें से भी 700–800 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाये हैं। तो यह हमारे प्रदेश की स्थिति है। मान्यवर, यहाँ जो लोग चुनकर आये हैं, उनको यह उत्तर जनता को देना होगा। जनता ने सरकार को चुना है, आपको जिम्मेदारी दी है। एक साल हो गया है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। जनता आपसे पूछेगी। यह बड़ी शर्म की बात है कि वह व्यक्ति जिसने भारत सरकार में वित्त मंत्रालय संभाला हो और जो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ हो। क्या कारण है कि जिसने देश का योजना आयोग संभाला हो, वह अपना बजट पास नहीं करा पा रहा है। यह बड़ी दुःखद स्थिति है। इनको जनता के सामने जवाब देना होगा।

मान्यवर, यहाँ पर सत्ता दल में खाली खींचतान चल रही है। सारा मंत्रिमण्डल इसमें लिप्त है। विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गये हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनके शतायु होने की कामना करते हैं लेकिन कुछ तो यह चाहते हैं कि वो दो साल 10 दिन ही रहें। यह अलग बात है कि आज वे बीमार हैं लेकिन हमें लगता है कि सारा मंत्रिमण्डल ही बीमार चल रहा है। यह सरकार पिछले साल भर से केन्द्र सरकार की कृपापात्र है। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हैं तो दूसरी तरफ केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई काम नहीं किया है इस सरकार ने। मान्यवर, यह नियम का उल्लंघन है। अगर लेखानुदान लाना ही है तो इसके लिए इसको एक दिन पहले ही लिया जाना चाहिए था। इस पर चर्चा होनी थी, यह नियमावली में है।

(व्यवधान)

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम 193 में लेखानुदान के सम्बन्ध में उल्लिखित है :–

"(1) लेखानुदान के प्रस्तावों में सम्पूर्ण, अपेक्षित राशि व्यक्त की जायेगी और विभिन्न धनराशियाँ जो प्रत्येक विभाग अथवा सेवा अथवा व्यय की मद के लिये आवश्यक हों, जिससे वह राशि बनती हो, प्रस्ताव में संलग्न अनुसूची में व्यक्त की जायेगी।

(2) सम्पूर्ण अनुदान को कम करने के लिये अथवा जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो उनके कम करने या विलुप्त करने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(3) प्रस्ताव पर या उसमें प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर साधारण चर्चा की अनुज्ञा होगी तथा अनुदानों के विवरणों पर सविस्तार विवाद न होकर केवल इतना उल्लेख किया जा सकेगा, जो साधारण चर्चा के हेतु आवश्यक हो।

(4) अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की माँग हो।"

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से पैसा मिल रहा है। उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा आपको सुनने का भी माद्दा नहीं है। मान्यवर, कम से कम परम्परा का तो पालन होना चाहिए। इसमें चर्चा लिखा गया है।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह चर्चा कब हो सकती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती ह कि अभी अनुज्ञा माँगी गई है, फिर पुरःस्थापन होगा और उसके बाद विचार होगा, फि पारण। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, किसी भी विधेयक पर जब विचार होता है तो उसमें नियम है कि पहल दिन विधेयक रखा जाता है और अगले दिन उस पर विचार होता है। मान्यवर, मेरा कहन है कि यह सरकार पूरी तरह से आर्थिक मामलों में फेल हो चुकी है। यह सरकार बजट लाने से बचना चाहती है इसलिए यह लेखानुदान पास कराना चाहती है। मान्यवर, य लेखानुदान पूर्णतया असंवैधानिक है, गलत है। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन क बहिष्कार करता हूँ।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो लेखानुदान लाया गया है, यह पूर्णतया गलत है, य सरकार नियमित बजट से बचना चाहती है और इसीलिए लेखानुदान लाया गया है। मै इसका विरोध करता हूँ और अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूँ। (व्यवधान)

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह सरकार बजट से बचना चाहती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज की तिथि निर्धारित कर दी है और कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को सदन ने स्वीकार किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पारित करने दें। (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के पास बजट बनाने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन फिर भी सरकार बजट नहीं बना सकी। सरकार बजट बनाने में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार को चेताने के लिए कि उत्तराखण्ड की जनता आपको देख रही है। मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूँ। (तत्पश्चात उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि बजट आना था, लेकिन बजट न लाकर केवल लेखानुदान के आधार पर सरकार चलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसका हम विरोध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते है। मान्यवर, यह प्रदेश की जनता की जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास है। मैं इसका विरोध करता हूँ और इसके साथ ही मैं सदन का बहिर्गमन करता हूँ। (तत्पश्चात् श्री बलवीर सिंह नेगी जी सदन का त्याग कर चले गये।)

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें। मैंने व्यवस्था दे दी है।

*श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, सरकार नियमित बजट के स्थान पर लेखानुदान लाई है। मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(तत्पश्चात् श्री प्रीतम सिंह पंवार जी सदन त्याग कर चले गये।)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1 से अनुदान संख्या–28 तक के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रु0 14471609000.00 (रु0 एक हजार चार सौ सैंतालीस करोड़ सोलह लाख नौ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1 से अनुदान संख्या–28 तक के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रु0 14471609000.00 (रु0 एक हजार चार सौ सैंतालीस करोड़ सोलह लाख नौ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गई।)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये?

मान्यवर, इस बिन्दु पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण अभी पढ़ा गया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा लेखानुदान प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा किया जान इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी वर्ष 2003–2004 के लिए वार्षिक योजना का आका अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाया है और सरकार की मंशा यह है कि बजट और वार्षिक योजना में तालमेल रहे ताकि किसी प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न न हों। वैसे भी हमारी सरकार कोई काल्पनिक बजट नहीं रखना चाहती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में तथा केन्द्र सरकार में नौ बजट पेश किये हैं और इतने अनुभवी व्यक्ति के होते काल्पनिक बजट तो पेश होगा नहीं क्योंकि जब तक बारहवें वित्त आयोग से अनुशंसा नहीं मिलती है तब तक बजट का वित्तीय आकार–प्रकार निश्चित नहीं हो पायेगा। जब वित्त आयोग से अनुशंसा मिल जायेगी त बजट का स्वयं ही आकार बन जायेगा और तब बजट पेश कर दिया जायेगा। हमारे ज सहयोगी हैं जो अभी सदन का बहिष्कार करके चले गये हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके द्वारा समर्थित अन्य प्रदेशों में जो सरकारें हैं, वहां पर छः माह के लिए लेखानुदान लाया जा रहा है।

मान्यवर, वैसे भी यह सदन सर्वोच्च है और यह लेखानुदान प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन हमारे सहयोगी मात्र विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं। जब तक केन्द्र सरकार के माध्यम से योजना आयोग की बैठक में, बारहवें वित्त आयोग की संस्तुति नहीं होगी तब तक बजट कैसे रखा जा सकता है। क्योंकि हम को काल्पनिक आय–व्यय जनता के सम्मुख नहीं रखना चाहते हैं। यह सरकार की बाध्यता थी कि काम–काज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लेखानुदान लाया जाये, इस दृष्टि से यह लेखानुदान लाया गया और यह कोई नई बात नहीं है।

मान्यवर, हम लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश में रहे, प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य भी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। वहां पर भी लेखानुदान आता रहा कभी–कभी तो वर्ष में दो बार भी लेखानुदान आया और वह पास हुआ। हमारी बाध्यता थी इसलिए लेखानुदान प्रस्तुत किया गया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2003

31 मार्च, 2004 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकि निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था व लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2003–04 के लिए 80905694000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2004 व समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हु सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल व समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया ज सकता है जो [अनुसूची के स्तम्म–3 में दी हुई धनराशियों से, जि सबका कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 200 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–1, सन् 2003 की अनुसूची के स्तम्म– से 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके)] 8090569400 रुपये (आठ हजार नब्बे करोड़ छप्पन लाख चौरानवें हजार मा होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जि धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया उनका विनियोग 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष सम्बध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
1.	विधान सभा	राजस्व	58162	6056	6421
		पूंजी	0	0	
2.	राज्यपाल	राजस्व	0	17040	1704
		पूंजी	0	0	
3.	मंत्रि परिषद्	राजस्व	70351	0	7035
		पूंजी	0	0	

1	2		3		
4.	न्याय प्रशासन	राजस्व	249759	32531	282290
		पूंजी	300000	0	300000
5.	निर्वाचन	राजस्व	61423	0	61423
		पूंजी	0	0	0
6.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	1272038	6716	1278754
		पूंजी	110000	0	110000
7.	वित्त, कर, नियोजन सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	राजस्व	7682577	8465659	16148236
		पूंजी	385502	15321634	15707136
8.	आबकारी	राजस्व	39255	0	39255
		पूंजी	10000	0	10000
9.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	30403	30403
		पूंजी	0	15000	15000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	2734803	0	2734803
		पूंजी	444101	0	444101
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	11533198	0	11533198
		पूंजी	674862	0	674862
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2568125	0	2568125
		पूंजी	523699	0	523699
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	3885867	0	3885867
		पूंजी	115000	0	115000
14.	सूचना	राजस्व	94769	0	94769
		पूंजी	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	1664211	0	1664211
		पूंजी	278665	0	278665
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	299253	0	299253
		पूंजी	0	0	0
17.	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	2303490	3061	2306551
		पूंजी	123162	0	123162
18.	सहकारिता	राजस्व	108161	0	108161
		पूंजी	120050	0	120050
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	3645814	0	3645814
		पूंजी	311002	0	311002
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1510901	0	1510901
		पूंजी	973304	0	973304
21.	ऊर्जा	राजस्व	2848622	500	2849122
		पूंजी	1975005	0	1975005
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	1777065	12995	1790060
		पूंजी	1324603	0	1324603
23.	उद्योग	राजस्व	528373	0	528373
		पूंजी	557504	0	557504
24.	परिवहन	राजस्व	59631	0	59631
		पूंजी	340005	0	340005

1	2		3		
25.	खाद्य	राजस्व	121254	0	121254
		पूंजी	103	0	103
26.	पर्यटन	राजस्व	170514	0	170514
		पूंजी	281172	0	281172
27.	वन	राजस्व	2409423	1320	2410743
		पूंजी	26600	0	26600
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	408218	10	408228
		पूंजी	13173	0	13173
	योग		56992769	23912925	80905694

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना अ शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुद विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 पारित वि जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम 31 मार्च, 2003 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 39 मिनट पर सोमवार 31–3–2003/अगले दि 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देहरादून :

दिनांक : 28 मार्च, 2003

महेश चन्द्र
सचिव, विधान
उत्तरांचल

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 विधान सभा/198–26–8–2003–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसे